Price Rs. 8.00

दक्षिण भारत

महादेवी वर्मा

(जन्म : 26 मार्च, 1907 निधन : 11 सितम्बर, 1987)

सामग्री-संकलन शोध की एक विशिष्ट एवं चुनौतीपूर्ण कार्यप्रणाली

—: डॉ. शशिप्रभा जैन :—

[illegible]का।

शोध-प्रक्रिया का सक्रिय चरण सामग्री-संकलन [illegible] विषय-निर्वाचन तथा रूप-रेखा-निर्माण के बाद [illegible]ग्री-संकलन किया जाता है। शोध-विषय के [illegible]रूप सीमा, काल-विधि, क्षेत्र तथा प्रकृति को [illegible] में रखकर सामग्री का संकलन करना चाहिए। [illegible]ग्री-संकलन के अभाव में शोध व्यर्थ है। इसलिए [illegible] में सामग्री-संकलन एक महत्वपूर्ण अंग है।

[illegible]ग्री-संकलन की आवश्यकता

शोध-सामग्री की प्रचुरता तथा प्रामाणिकता [illegible] संरचना को नियंत्रित करती है। यदि किसी [illegible] कार्य की सामग्री अपर्याप्त तथा अपूर्ण है तो [illegible] निष्कर्ष भी अपर्याप्त तथा अपूर्ण होंगे। यदि [illegible] कार्य की शोध-सामग्री प्रचुर तथा पूर्ण [illegible] सम्बन्धित शोध-निष्कर्ष भी पूर्ण तथा [illegible] तथा, शोध-संरचना का संरचक तत्व [illegible] ही शोध-कार्य का प्राणतत्व है। तथ्य-हीन [illegible] कल्पना ही सम्भव नहीं। सामग्री का संग्रह [illegible] प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। भूमिका, [illegible] तथा निष्कर्ष-निपादन में एक निश्चित [illegible] चाहिए। इसी अनुपात के अनुसार [illegible] सामग्री संगृहीत होनी चाहिए।

[illegible] कार्य दुष्कर, श्रमसाध्य [illegible] है। [illegible] संग्रह की विधि तथा [illegible] शोधार्थी निरुद्देश्य इधर-[illegible] रहता है। हिन्दी-क्षेत्र में अनेक शोध-कार्य असम्बद्ध सामग्री से मंडित हैं। अतः सामग्री-संकलन का कार्य विवेक तथा योग्यता से सन्बन्धित है।

सामग्री संकलन के स्रोत

शोधार्थी को उक्त स्रोतों की जानकारी करके सामग्री-संकलन करना चाहिए। शोधार्थी को प्रामाणिक स्रोतों से ही सामग्री-संग्रह करना चाहिए; अप्रामाणिक स्रोतों से नहीं। सामग्री-संग्रह के स्रोत सामग्री की उत्तमता तथा पवित्रता का ही निर्धारण नहीं करते हैं, वरन् शोधार्थी की योग्यता, क्षमता, व्यवहार कुशलता, पर्यटन वृत्ति तथा सहृदयता आदि गुणों को भी निखारते हैं। सामग्री-संग्रह के स्रोत शोध-निरीक्षक की विशेषज्ञता, मार्ग निर्देशिकता, विवेक, बौद्धिक, प्रौढ़ता तथा शोध संपादनों की क्षमता को भी परिभाषित करते हैं। शोध-परीक्षक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शोध-मूल्यांकन में सहायता प्रदान करते हैं। शोध-प्रक्रिया को सरल, उपयोगी तथा तार्किक बनाते हैं। शोध-पद्धति तथा शोध की व्यवस्था को भी अनुशासित करते हैं।

सामग्री-संकलन के स्रोत दो प्रकार के हैं– 1. अंतरंग स्रोत, 2. बहिरंग स्रोत।

अंतरंग सामग्री-संकलन के स्रोत उपजीव्य ग्रंथ या आधार ग्रंथ होते हैं। इन्हें सामग्री-संकलन के मुख्य स्रोत भी कहा जा सकता है। बहिरंग सामग्री को सहायक सामग्री भी कहा जा सकता है।

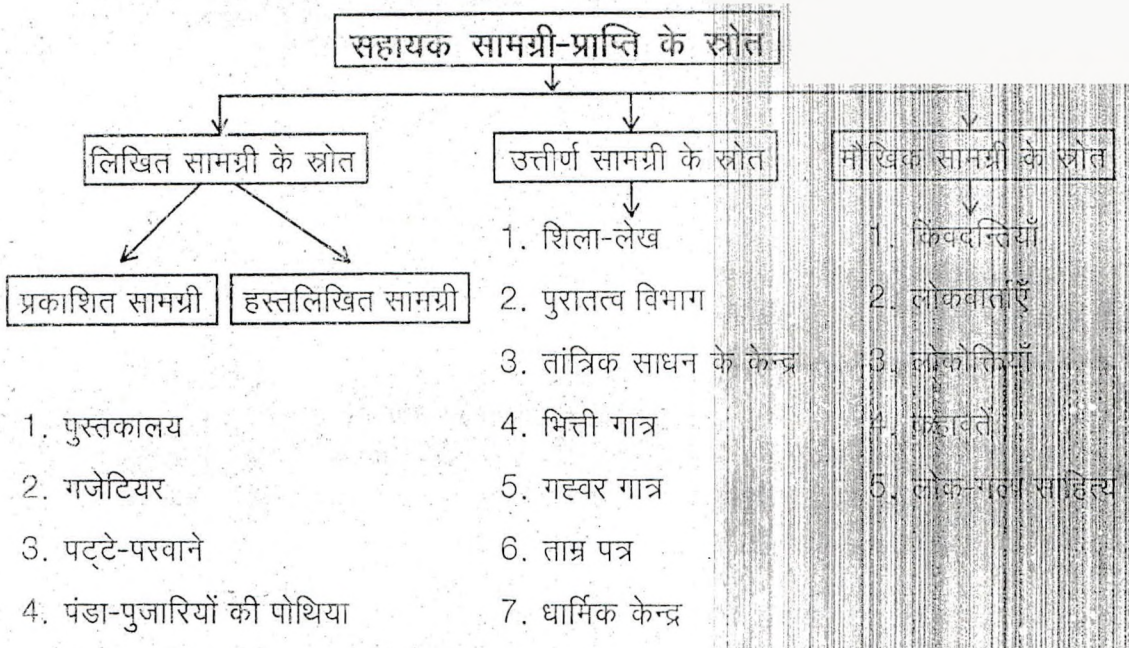

शोध के प्रकारों तथा शोध-सामग्री-भेद के आधार पर शोध-सामग्री-स्रोत निर्धारित किये जा सकते हैं।

सामग्री-संकलन की पद्धतियाँ

शोध-सामग्री-संग्रह की कार्य-विधि अथवा ढंग सामग्री-संकलन की पद्धतियाँ कहलाती हैं। सामग्री-संकलन की पद्धतियों को प्रधान रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

आसन कार्य पद्धति में आसन पर बैठकर एक ही स्थान से एकाधिक पुस्तकों से सामग्री-संग्रह का कार्य किया जाता है। वैज्ञानिक समाज शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक, लोक-साहित्यिक तथा पाठ शोध-विषयक शोध-कार्यों को छोड़कर अन्य-अन्य विषयों के अधिकांश शोध-कार्य आसन पर बैठकर ही किये जाते हैं। इस प्रकार की सामग्री-संग्रह की कार्य-विधि में शोधार्थी को एक ही निश्चित स्थान पर समस्त शोध-सामग्री उपलब्ध हो जाती है।

आसन कार्य-पद्धति दो सामग्री-स्रोतों से संबंधित है– 1. पुस्तकालय, 2. संग्रहालय।

पुस्तकालय

सम्पन्न तथा विस्तृत पुस्तकालय शोध-कार्य में सबसे अधिक सहायक होते हैं। साहित्य तथा अन्य ज्ञान-विषयों से संबंधित समस्त प्रकाशित तथा हस्तलिखित सामग्री प्राचीनतम सम्पन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध हो जाती है। पुस्तकालयों से लिखित सामग्री का संग्रह किया जा सकता है। इस आसन कार्य-पद्धति से योजनाबद्ध ढंग से शोध-कार्य करने पर सम्पूर्ण भारत तथा भारतेतर पुस्तकालयों से वांछित तथा लोकोपयोगी शोध-सामग्री संकलित की जा सकती है। यह कार्य-पद्धति लिखित शोध-सामग्री के संग्रह-कार्य ही सीमित है।

संग्रहालय

हस्तलिखित ग्रन्थों का केन्द्र-स्थल संग्रहालय है। अधिकांश महत्वपूर्ण नगरों में संग्रहालय पाये जाते हैं। इन केन्द्र-स्थलों से आसन कार्य पद्धति से पाठानुसंधान संबंधी शोध-सामग्री का संग्रह किया जा सकता है। सामग्री-संकलन की आसन कार्य पद्धति में दो कार्य-विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। 1. कार्ड कार्य-विधि, 2. रजिस्टर कार्य-विधि।

कार्ड पद्धति

भाषा वैज्ञानिक, पाठानुसंधान, शैली वैज्ञानिक तथा कोश वैज्ञानिक शोध-कार्यों में प्रधान रूप से कार्ड-विधि का प्रयोग किया जाता है। साहित्य शोध कार्यों के जीवनवृत्ति, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक शोध-कार्यों में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में —

1. तथ्य-संग्रह में सरलता बनी रहती है।
2. तथ्यों को आसानी से क्रमबद्ध किया जा सकता है।
3. तथ्यावृत्ति निकालने हेतु यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है।
4. इसमें तथ्य-पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है।
5. कार्ड पर ही संगृहीत सामग्री का विश्लेषण-विवेचन किया जा सकता है।
6. तथ्य-संयोजन में तार्किकता, क्रमबद्धता वैज्ञानिकता तथा प्रामाणिकता आदि तथ्य गुण स्वतः समाहित हो जाते हैं।

रजिस्टर कार्य-विधि

अनेक शोधार्थी कार्ड-पद्धति के उपयोग से अनभिज्ञ होने के कारण रजिस्टर कार्य-पद्धति का शोध-सामग्री संग्रह में प्रयोग करते हैं। एक या एक से अधिक बड़े आकार के रजिस्टरों पर अनुसंधेय कृति की सामग्री का संकलन करते हैं। इस कार्य-विधि में एक की प्रकार्य-द्योतक प्रकृति का शब्द या प्रत्यय अलग-अलग पर्याप्त अंतराल के साथ अंकित किया जाता है।

क्षेत्रीय कार्य-पद्धति

शोध तथ्य-संग्रह की दूसरी पद्धति क्षेत्रीय कार्य-पद्धति है। लोक-साहित्य तथा लोक-भाषा सम्बन्धी शोध-कार्यों के लिए क्षेत्रीय कार्य-पद्धति सबसे अधिक उपयोगी है। इसमें पर्याप्त सामग्री का संग्रह सूचकों द्वारा और यंत्रों द्वारा किया जा सकता है।

सूचकों द्वारा लोकगीतों की अपेक्षा लोक-भाषा की सामग्री का संग्रह अधिकता से तथा सरलता से किया जा सकता है। सूचकों के चयन की दुष्कर [illegible] प्रक्रिया है। [illegible] विविध वर्गों, जातियों, व्यवसायों, आयु तथा लिंग के आधार पर सूचकों को

पारिश्रमिक पर नियुक्त करना होता है। सूचकों से सामग्री का संग्रह रजिस्टर अथवा कार्डों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार संगृहीत सामग्री का आसन कार्य-पद्धति से एक निश्चित स्थान पर बैठकर विश्लेषण-विवेचन किया जा सकता है।

सामग्री-संकलन की पद्धतियाँ

सामग्री-संचयन की अनेक पद्धतियाँ हैं–

1. अध्ययन पद्धति, 2. साक्षात्कार प्रद्धति, 3. प्रश्नावली पद्धति, 4. सर्वेक्षण पद्धति, 5. प्रेक्षण पद्धति

किसी विशेष शोध में इनमें किसी एक या दो या अनेक पद्धतियों का उपयोग होता है।

अध्ययन-पद्धति में अनेक विभाजन हैं। वे

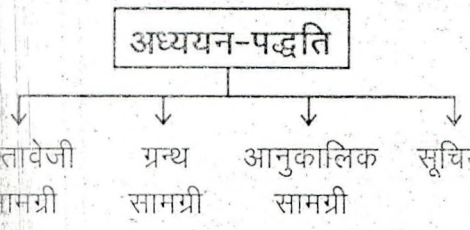

इस पद्धति में दस्तावेजी सामग्री, ग्रन्थ सामग्री, आनुकालिक प्रकाशन एवं सूचियों का अध्ययन करके शोध के लिए सामग्री-संकलन किया जाता है। आजकल इसके अलावा माइक्रो फिल्म, टेप, कैसेट तथा सी.डी. आदि से भी सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

साक्षात्कार पद्धति

इतिहास के विस्तृत तथ्य, भाषा की प्रकृति तथा वर्तमान समस्याओं पर विशिष्ट व्यक्तियों के विचारों को जानने का साधन सम्बन्धित व्यक्तियों का साक्षात्कार है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा-विज्ञान, सामाजिक आदि से संबंधित शोध-विषयों में साक्षात्कार पद्धति विशेष अपेक्षित है। इस पद्धति से केवल विषय ही नहीं, अपितु विषय से संबंधित व्यक्ति को भी जाना जा सकता है जिससे विषय को और भी अधिक गहराई से समझने में सहायता मिलती है।

प्रश्नावली पद्धति

इस पद्धति में लिखित या मुद्रित प्रश्नावली को सामग्रीदाता के हाथ में देकर उत्तर लिखित रूप में उत्तर प्राप्त किये जाते हैं। इस पद्धति के प्रश्न क्रम में, स्पष्ट, सरल एवं सीधे होने चाहिए।

सर्वेक्षण पद्धति

सर्वेक्षण पद्धति में विषय को आधार बनाकर सर्वेक्षण किया जाता है। उस विषय पर उपलब्ध सामग्री को देखना ही सर्वेक्षण है।

प्रेक्षण पद्धति

प्रेक्षण पद्धति को चक्षु पद्धति भी कहा जा सकता है। इस पद्धति में शोधार्थी को समाज के अनुसंधेय अंग के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना पड़ता है।

उपसंहार

सामग्री संकलन के लिए कार्ड-पद्धति लाभदायक होगा। संकलित तथ्य का कार्ड पर ही वर्गीकरण-विश्लेषण तथा संयोजन कर लेना चाहिए, ऐसा करने से तथ्य-संयोजन के कार्य में वैज्ञानिकता तथा पूर्णता आ सकेगी। इस पद्धति से संकलनकर्ता को स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि किन स्थानों, ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं से कितनी सामग्री संकलित हुई है तथा और कितनी सामग्री संकलित कर सकती है। हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों में संचित सामग्री का प्रामाणिकता की परीक्षा

आवश्यक है। सच कहें तो सामग्री-संकलन साधारण विषय के रूप में दीख पड़ने पर भी यह शोधार्थी के लिए चुनौतीपूर्ण विषय है, इसलिए इसपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।

सहायक ग्रंथ सूची

1. अनुसंधान और आलोचना, डॉ. नगेन्द्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी सड़क, प्रथम संस्करण, 1961
2. अनुसंधान का विवेचन, डॉ. उदयभानुसिंह, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली-6. प्रथम संस्करण, 1962
3. अनुसंधान का स्वरूप, सम्पादिका डॉ. सावित्री सिन्हा, प्रकाशक, रामलालपुरी, आत्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6.
4. भारतीय पाठालोचन की भूमिका, डॉ. एस.एम. कत्रे– अनुवादक, डॉ. उदयनारायण तिवारी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, गोपाल, संस्करण, 1971
5. शोध-प्रविधि, डॉ. विनयमोहन शर्मा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23, दरियागंज, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1973
6. हिन्दी अनुसंधान, डॉ. विजय पालसिंह, रामलाल एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, संस्करण, 1978
7. रिसर्च मैथडोलजी, डॉ. वी.एम. जैन, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर
8. अनुसंधान पद्धति की विवेचना, डी.आर. भंडारी, साहित्यागार ग्रन्थाकार, जोधपुर, संस्करण, 1996

असोसियेट प्रोफेसर, अविनाशिलिंगम डीम्ड विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर

काव्य युद्ध

अरबों के लिये सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी भाषा। प्रत्येक अरब, 'ऊँट' अथवा 'तलवार' के लिए कम-से-कम सौ पर्यायवाची शब्द जानता है। बचपन से ही उसे सुंदर-सुंदर शब्दों का प्रयोग सिखाया जाता है। एक साधारण अरब महिला भी गलत बोलने के लिए अपने बच्चे को कड़ा दंड देती है। अरब में प्रत्येक कबीले का अपना कवि होता है, जो कबीले के साथ हर लड़ाई में जाता है। जब सामने, दूसरे कबीले के लोग खड़े हो जाते हैं, तब दोनों कबीलों के कवि अपनी-अपनी पंक्ति के आगे आ जाते हैं। फिर वे अपने कबीले की प्रशंसा और दूसरे कबीले की निंदा के गीत गाते हैं, जिस कबीले का कवि इस 'काव्य-युद्ध' में पराजित हो जाता है, वह अपनी हार मान, चुपचाप उल्टे पाँव लौट जाता है– न किसी अस्त्र का प्रयोग होता है और न कोई खून-खराबी।